हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश विभाजन प्रस्ताव पेश हुई। तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2023 को इस प्रकरण में प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई है कि आराजी खसरा संख्या 926/388/1.2650 स्थित ग्राम महवा तहसील महवा में मौके पर कब्जा एवं हिस्सा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत किये जाये। इसकी पालना में तहसीलदार महवा द्वारा दिनांक 01.02.2023 को विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय के समक्ष पेश किए।

वकील वादी की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट कुर्रेजात एवं अन्य रिकार्ड का भी अवलोकन किया। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश क्रमांक/रा.म./न्याय/स्था./प–51/2018 /विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के मुताबिक भूमि विभाजन के प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–21 के अन्तर्गत तहसीलदार महवा द्वारा विवादित आराजी के मुताबिक प्राथमिक डिक्री अलग–अलग राज. लगान कायम करते हुये पेश की है। जिस पर वादी अथवा प्रतिवादीगण की कोई आपत्ति नहीं है।

अतः दावा वादी मुताबिक रिपोर्ट कुर्रेजात निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

1. गोपाल लाल पुत्र राधेश्याम हि0 1/2, हिमांशु पुत्र गोपाल लाल हि0 1/2 जाति ब्राहम्ण साकिन पाखर खातेदार – आराजी खसरा नम्बर 926/388/1/0.2350 त.पूर्व लगान
2. अन्य शेष खातेदार मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट– आराजी खसरा नम्बर 926/388/2/1.0300 त.पूर्व लगान

बांके ग्राम महवा तहसील महवा पर उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रिपोर्ट कुर्रेजात निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार फाईनल डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा